

छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर

मुख्यालय "सहकार भवन", प्लॉट नं.-74, सेक्टर-24, अटल नगर, नवा रायपुर(छ.ग.) 492002
Website: www.cgapexbank.com Email : cg.apexbank.ho@gmail.com



छ.ग./मुख्यालय/नवा रायपुर क्र..... दिनांक

-:: विस्तृत विज्ञापन ::-

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निम्नानुसार आदेश जारी कर अनुमति प्रदान की गई है :-

क्र0	आदेश पत्र क्रमांक/दिनांक	बैंक का नाम
1.	क्रमांक/साख-1A/280/2023/1776/नवा रायपुर, दिनांक 26/04/2023	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर
2.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./20/2023/1894 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर
3.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./145/2023/1896 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग
4.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./05/2023/1897 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव
5.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./27/2023/1974 नवा रायपुर, दिनांक 12/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर
6.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./27/2023/2086 नवा रायपुर, दिनांक 23/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर
7.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./60/2023/1895 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

साथ ही कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र क्र./साख-2/न.क्र.-186/2023/3264 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त प्रदत्त अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर के वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं:-

i. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) मुख्यालय, शाखा - शारदा चौक, रायपुर/पण्डरी, रायपुर/ भिलाई/ बिलासपुर तथा छ.ग.सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर हेतु

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	रिक्त पद	वेतनमान (छ.ग.शासन द्वारा लागू सातवां वेतनमान) एवं लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कार्यालय सहायक	17	25300-80500 (L-6)



- ii. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के क्षेत्रीय/नोडल कार्यालय रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर एवं इन जिले में स्थित बैंक की शाखाओं तथा संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय एवं नोडल कार्यालय हेतु

क्रं.	सेवा/पद का नाम	अपेक्स बैंक	जिला सहकारी बैंकवार पदों की संख्या						वेतनमान (छ.ग.शासन द्वारा लागू सातवां वेतनमान) एवं लेवल
		रायगढ़/सारंगढ़/जशपुर	रायपुर	दुर्ग	राजनांदगांव	बिलासपुर	अंबिकापुर	जगदलपुर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर)	05	10	—	—	—	08	—	28700-91300 (L-7)
2	सामान्य सहायक	08	—	12	32	04	27	15	22400-71200 (L-5)

- iii. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) क्षेत्रीय/नोडल कार्यालय, रायगढ़, सारंगढ़ एवं जशपुर तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों बाबत संवर्ग सेवा हेतु

क्रं.	सेवा/पद का नाम	अपेक्स बैंक	जिला सहकारी बैंकवार पदों की संख्या						वेतनमान (छ.ग.शासन द्वारा लागू सातवां वेतनमान) एवं लेवल
		रायगढ़/सारंगढ़/जशपुर	रायपुर	दुर्ग	राजनांदगांव	बिलासपुर	अंबिकापुर	जगदलपुर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग)	17	60	40	37	40	23	43	19500-62000 (L-4)

टीप:-

1. रिक्त पदों की संख्या अनंतिम/परिवर्तनीय है, बैंक अपनी आवश्यकतानुसार रिक्त पदों में कमी या वृद्धि कर सकती है।
2. संयुक्त भर्ती परीक्षा की मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा पद एवं बैंक का चयन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर के उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही "छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर (सेवायुक्तों के नियोजन, निबंधन एवं कार्यस्थिति) नियम- 2023" के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी।
4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर के उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही "जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी सेवा (सेवायुक्तों के नियोजन, निबंधन एवं कार्यस्थिति) नियम- 2023" के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

(01) आरक्षण :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/साख/2014/5352 रायपुर, दिनांक 03.11.2014 के



परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है।

(02) शैक्षणिक योग्यता (दिनांक 31/08/2023 पर) :-

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)
1	कार्यालय सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए.
2.	सामान्य सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए.
3	सहायक प्रबंधक (फील्ड आफिसर)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए.
4	समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर में पी.जी.डी.सी.ए.

(03) वेतनमान :-

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	छ.ग.शासन द्वारा लागू सातवां वेतनमान	लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कार्यालय सहायक	25300-80500	L-6
2.	सामान्य सहायक	22400-71200	L-5
3.	सहायक प्रबंधक (फील्ड आफिसर)	28700-91300	L-7
4.	समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग)	19500-62000	L-4

टीप:- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होगा।

(04) आयु सीमा :-

- दिनांक 01.01.2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।



(05) अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:-

1. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे विज्ञापित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।
2. परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
3. चयनित उम्मीदवार का जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवार का पुलिस व्हेरीफिकेशन कराया जावेगा।
5. सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जायेगी।
6. आवेदन के समय संबंधित पद हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन भरेंगे।
7. छ.ग.राज्य सहकारी बैंक के क्षेत्रीय/नोडल कार्यालय रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर तथा इन जिले में स्थित बैंक की शाखाओं हेतु विज्ञापित पद - सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर), सामान्य सहायक एवं समिति प्रबंधक(नवीन संवर्ग) की भर्ती केवल जिला रायगढ़, जशपुर एवं सारंगढ़ स्थित बैंक कार्यालय/शाखा एवं संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए ही होगी।
8. छ.ग.राज्य सहकारी बैंक हेतु विज्ञापित पद - कार्यालय सहायक की पदस्थी छ.ग.राज्य सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय/नोडल कार्यालय, बैंक शाखाओं एवं छ.ग.सहकारी प्रशिक्षण संस्थान में की जा सकेगी।
9. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हेतु चयनित कर्मचारियों की पदस्थी सेवा में सम्मिलित पदों के अनुरूप संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कार्यक्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय/नोडल कार्यालय, बैंक की शाखाओं तथा संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में की जावेगी।
10. विज्ञापित पदों पर नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् सेवायुक्त को चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि में सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाए जाने पर अथवा अन्य कारणों से पदों के निरस्तीकरण की स्थिति में नियोक्ता बैंक द्वारा परिवीक्षा पर कार्यरत सेवायुक्त की सेवाएं लिखित आदेश द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
11. सीधी भर्ती के पदों पर चयन किये जाने वाले सेवायुक्तों के साथ बैंक द्वारा एक बंधन-पत्र का निष्पादन अनिवार्यतः किया जायेगा, जिसमें सेवा की समस्त शर्तों के साथ इस आशय का शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित वेतनमान संबंधी कंडिका निःशर्त स्वीकार है।
12. ऑन लाईन आवेदन में दी गई जानकारी की समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्व प्रमाणित छायाप्रतियां काउंसिलिंग/नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. भर्ती प्रक्रिया संशोधित करने/विलोपित करने एवं उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियोक्ता बैंक के पास सुरक्षित रहेंगे।



15. सभी संशोधन/शुद्धि पत्र सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन/छ.ग.राज्य सहकारी बैंक/व्यापम की अधिकृत वेबसाइट पर ही अपलोड की जावेगी।
16. नियोक्ता बैंक को कागजी आवेदन और अन्य प्रलेखों की प्रतियाँ मान्य नहीं होगी।

(06) पहचान का सत्यापन :-

आवेदक/उम्मीदवार परीक्षा हाल में पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड/ पेन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेंस/वोटर कार्ड आदि मूल एवं स्व प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त पहचान प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र से अक्षरशः मेल खाते हों।

(07) परीक्षा हेतु निर्देश :- व्यापम के निर्देशानुसार होगा।

(08) अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

1. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय बंधनकारी एवं अंतिम होगा। कोई भी पत्राचार अथवा व्यक्तिगत पूछताछ के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
2. किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी या प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान बैंक प्रबंधन को ज्ञात नहीं हो पाता है, किन्तु बाद में यह संज्ञान में आता है कि उम्मीदवार का चयन त्रुटिवश हुआ है, तो बैंक प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि चयनित उम्मीदवार का चयन रद्द कर अगले उम्मीदवार का चयन करे।
3. भर्ती से संबंधित विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार रायपुर होगा।

(09) परीक्षा योजना :- सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जायेगी।

लिखित परीक्षा

भाग-1	
क्र०	विषय
1	छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान
2	छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान
भाग-2	
विषय	
1	सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी
2	सामान्य ज्ञान
3	गणितीय एवं तार्किक योग्यता
4	हिन्दी भाषा ज्ञान
5	अंग्रेजी भाषा ज्ञान
6	कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान

1. सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। (लिखित परीक्षा भाग-1 में निर्धारित अंकों का न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा) लिखित परीक्षा (भाग-1) में 50%



से कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग-1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा(भाग-2) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्तांक सूची तैयार की जायेगी।

2. व्यापम द्वारा जारी प्राप्तांक सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन, दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाकर मेरिट के आधार पर संयुक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा। संयुक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को उनके मेरिट क्रम के आधार पर छ.ग.राज्य सहकारी बैंक व 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के रिक्त पदों पर पदवार एवं बैंक का चयन करने का अवसर होगा। काउंसिलिंग की प्रक्रिया भर्ती हेतु संबंधित बैंक में विज्ञापित पदों की संख्या तक होगी।
3. काउंसिलिंग के दौरान एक बार चयनित विकल्प में परिवर्तन का अधिकार अभ्यर्थियों को नहीं होगा।
4. काउंसिलिंग में अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, संबंधित बैंक द्वारा गठित काउंसिलिंग कमेटी का होगा।
5. काउंसिलिंग के उपरांत अंतिम चयनित सूची के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित बैंक की चयन कमेटी/स्टॉफ़ उप समिति द्वारा की जावेगी।
6. चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची बैंक द्वारा घोषित की जायेगी जो परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा इस अवधि में किसी भी कारण से रिक्त हुए पदों की भर्ती इस प्रतीक्षा सूची से संबंधित बैंक द्वारा की जा सकेगी।
7. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
8. किसी भी पद पर सीधी भर्ती/चयन हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(10) दस्तावेजों का सत्यापन :-

- 1 काउंसिलिंग/दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद पृथक से बैंक द्वारा संचार के उचित माध्यम से दी जावेगी।
 - 2 यदि किन्हीं कारणों से तिथि एवं समय में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना चयनित उम्मीदवारों को पंजीकृत ई-मेल आई.डी., एस.एम.एस. तथा उचित माध्यम से दी जायेगी अथवा बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
 - 3 सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करने के पश्चात ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने योग्य माना जाएगा।
- (1) बैंक द्वारा प्रेषित काल लेटर।
 - (2) ऑन लाईन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति।
 - (3) जन्मतिथि के प्रमाण हेतु दस्तावेज जैसे:- जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल (10+2) प्रमाण पत्र जिससे जन्म तिथि प्रमाणित होती हो।
 - (4) नवीनतम रंगीन 04 फोटोग्राफ, पहचान पत्र सहित।

